

बिहार सरकार
वित्त विभाग

अधिसूचना

संख्या- वि०(२७) पे०को०-४९/२०१९ /वि०, पटना, दिनांक-

भारत के संविधान के अनुच्छेद-३०९ के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, १९५० में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ ।-(१) यह नियमावली बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, २०२० कही जा सकेगी।
(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(३) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।
२. बिहार पेंशन नियमावली, १९५० के नियम-४३ एवं १३९ में अंकित शब्दावली 'राज्य सरकार' को 'सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक- वि०(२७) पे०को०-४९/२०१९

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक- वि०(२७) पे०को०-४९/२०१९

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि: महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक- वि०(27) पे०को०-49/2019 295 पटना, दिनांक- 13-5-2020
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त
विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग इस आदेश की
500 प्रतियाँ वित्त विभाग, पेंशन शाखा को उपलब्ध करायेगें।



(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

(MB)
13-5-2020